

सिर्फ भारत नेपाल विप्रेषण के मामले में भरा जाना चाहिये:

लाभार्थी का पता: _____

लाभार्थी की नागरिकता/ पैन/ पासपोर्ट क्र.: _____ लाभार्थी का मोबाइल/ लैंडलाइन नं.: _____

बैंक के उपयोग के लिये

हस्ताक्षर के जाँचकर्ता: _____ लॉग करने वाले अधिकारी: _____

समीक्षक: _____ स्वीकृतिदाता: _____

बैंक का बाहरी संदर्भ क्र.: _____

गैर-ग्राहक के लिये ली गयी केवाइसी:

पहचान का प्रमाण: _____ पते का प्रमाण: _____

नियम व शर्तें

- प्रेषक बैंक ट्रांसमिशन की प्राप्ति में देरी या इलेक्ट्रॉनिक संदेश न मिलने या ट्रांसमिशन अथवा प्राप्ति में किसी तरह की गलती, चूक, या त्रुटि या किसी कारण से संदेश को समझने या उसका गलत अर्थ निकालने या प्राप्तकर्ता बैंक की गतिविधि या आवेदन पत्र में दिये गये विवरण में किसी गलती या नियंत्रण से बाहर के किसी कार्य या घटना से हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिये जिम्मेदार नहीं होंगे।
- प्रेषक को प्रेषण के सभी निर्देशों की सावधानी से जाँच करनी चाहिये। ग्राहक स्वीकार करता है कि जैसे भेजने की प्रक्रिया में किसी भी देरी या किसी भुगतान आदेश के अनुसार धन हस्तांतरण की प्रक्रिया संपन्न करने में किसी गलती से हुए नुकसान, बैंक के कर्मचारी की किसी त्रुटि, लापरवाही या धोखाधड़ी की स्थिति में बैंक की देयता मामले के अनुसार भुगतान में देरी की स्थिति में देरी की अवधि के लिये बैंक दर से ब्याज के भुगतान और/ या धन वापसी की तिथि तक बैंक दर से ब्याज के साथ पूरी रकम की वापसी तक सीमित होगी। बैंक अपने नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से प्रेषण संपन्न न होने के कारण कोई देयता स्वीकार नहीं करता, जिनमें सुरक्षा प्रक्रिया में किसी तकनीकी कारण और प्राकृतिक आपदाओं का समावेश है।
- निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आरटीजीएस हस्तांतरण के आवेदन समय-सीमा और उपलब्धता के अधीन एनईएफटी द्वारा संपन्न किये जायेंगे, ताकि लेन-देन की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जा सके।
- ग्राहक स्वीकार करता है कि भुगतान आदेश अखंडनीय हो जाता है और ग्राहक बैंक की सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार सद्भावना के साथ बैंक द्वारा जारी किये गये भुगतान आदेश से बाध्य होगा।
- ग्राहक बैंक के प्रति ग्राहक की किसी भी देयता या ग्राहक द्वारा जारी किये गये किसी भी भुगतान आदेश को पूरा करने के लिये लागू किसी भी शुल्क को ग्राहक के खाते से काटने की अनुमति बैंक को देते हैं और प्रेषण की प्रक्रिया पूरी करने के लिये पर्याप्त राशि खाते में रखना ग्राहक की जिम्मेदारी है। अगर बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के बावजूद भुगतान आदेश पूरा कर देता है, तो ग्राहक बैंक को प्रेषण के लिये खाते से कटने वाली राशि के साथ-साथ बैंक को देय शुल्कों और ब्याज के भुगतान के लिये बाध्य होगा।
- आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आइएमपीएस क्रेडिट सिर्फ दिये गये लाभार्थी खाता क्रमांक पर आधारित होंगे। क्रेडिट निर्देशों को पूरा करने के लिये लाभार्थी के नाम का सत्यापन नहीं किया जायेगा।
- मैं/ हम इंडसइंड बैंक को मेरे/ हमारे खाते से कथित राशि काट कर फॉर्म में दी गयी जानकारी के अनुसार डीडी जारी करने या धनराशि भेजने का अधिकार देते हैं। मैं/ हम समझते हैं कि डीडी जारी करने के लिये लागू शुल्क मेरे/ हमारे खाते से काटे जायेंगे।